न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूड R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 263/2016 दायर तारीख : 05.02.2016

1. यशवन्त पुत्र देवीसिंह
2. शिवानी पुत्री देवीसिंह
समस्त जाति चारण नि0 आसलपुर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुनिता पुत्री शिम्भूदान नि0 गोपालजी का वास आसलपुर हाल नि0 बुधजी का बास पो0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

— वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. बृजराजसिंह पुत्र रमेशचन्द जाति चारण नि0 गोपालजी का बास आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. देवीसिंह पुत्र बृजराजसिंह जाति चारण नि0 गोपालजी का वास आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. कृष्णा पत्नि बृजराजसिंह चारण नि0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. तहसीलदार फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :– श्री लालचन्द कुमावत अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 20-8-19

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 1 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने यह वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादीगण की माता सुनीता व प्रतिवादी सं0 2 देवीसिंह जो आपस में पति पत्नि थे के मध्य आपसी सहमति से विवाह विच्छद हुआ है एवं उक्त विवाद विच्छेद याचिका में दोनों पक्षों के मध्य वादीगण व उसकी माता के भविष्य के भरण पोषण के रूप में 9 बीघा आराजी वादीगण की माता को देना तय हुआ एवं उक्त 9 बीघा आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की माता सुनिता व प्रतिवादी सं0 2 के मध्य हुये विवाह विच्छेद याचिका के दौरान प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा उसके भरण पोषण में राशि 9 बीघा आराजी उसके नाम जरिये दान पत्र करा दी गई एवं अब कोई भरण पोषण की राशि शेष नहीं है। वादीगण ने उक्त वाद विवाह विच्छेद याचिका में हुई संविदा के सम्बन्ध में पेश किया है एवं उक्त संविदा के आधार पर वादीगण किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त करने का वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते एवं राजस्व न्यायालय मे इस प्रकार के वाद को सुने जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है एवं क्षेत्राधिकार के आधार पर वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

3. अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रतिवादीगण के प्रा0पत्र के सभी मदों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब मे कथन किया कि वास्तविक रूप से सुनीता व प्रतिवादी सं0 2 के विवाह विच्छेद की कार्यवाही में प्रतिवादी सं0 2 द्वारा कोई भरण पोषण पेटे 9 बीघा भूमि के बाबत् वाद प्रस्तुत नही किया बल्कि यशवन्त व शिवानी की ओर से अपनी पुश्तैनी सम्पति में अपने हक अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो नाबालिक है। वादीगण यशवन्त व शिवानी को कोई 9 बीघा भूमि दान नहीं की गयी है। इस कारण भरण पोषण की राशि बकाया नहीं होने के तथ्य स्वतः ही गलत हो जाते है। वादीगण ने वाद काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत पुश्तैनी आराजी में अपने हक अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है तथा वाद के अभिवचनों के अनुसार वाद पत्र संविदा पर आधारित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का मान्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण ने उक्त निर्णित वाद पुश्तैनी सम्पति होने के आधार पर अपने हक व अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार व धा[illegible] 88 के तहत उक्त वाद की सुनवाई का मान्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण नाबालिक है तथा आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान नाबालिक के वाद पर लागू नहीं होते है इस कारण प्रा0पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 के 6 आधारों में से कौनसे आधार के तहत प्रस्तुत किया गया है स्पष्ट नहीं किया गया है तथा वाद पत्र के अभिलेखों में से कौनसा अभिवचन किस विधि द्वारा बाधित है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नहीं होने से प्रा0पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रा0पत्र को प्रस्तुत करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है केवल जवाब दावा पेश नहीं कर देरीना करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो प्रति ए0डी0जे0 सांभरलेक दिनांक 13.02.14 नकल समझौता पत्र दिनांक 05.08.13 आदि पेश किये।

5. वकील वादी/अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत 2011(2) आर0आर0टी0 पेज सं0 1433, 2014(2) आर0आर0टी0 पेज सं0 1263, 2003(1) आर0आर0टी0 पेज सं0 633, 2011–12 आर0आर0टी0 पेज सं0 71, 2018(1) सिविल राज0 पेज सं0 646 की नजीरें पेश की है।

6. बहस प्रार्थना पत्र/आदेश 7 नियम 11 वकलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी सं0 1 व 2 की माता सुनीता व प्रतिवादी सं0 2 देवीसिंह जो कि वादी सं0 1 व 2 की माता सुनीता के पति है इनके मध्य आपसी सहमति से तलाक के सम्बन्ध में एक प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक के यहा प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य यह सहमति हुयी कि सुनीतादेवी व उसके दोनों संतानों के सम्बन्ध में भरण पोषण की राशि के रूप में 9 बीघा आराजी प्राप्त कर भविष्य में भरण पोषण की राशि तथा देवीसिंह के हिस्सें में चल व अचल सम्पति में किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त नहीं करेगे जिसके सम्बन्ध में एक समझौता पत्र भी दोनों पक्षों के मध्य सम्पादित किया गया तथा उक्त समझौते के आधार पर 9 बीघा आराजी सुनीतादेवी के नाम उनके भरण पोषण व दोनों संतानों का जो हिस्सा बनता था उनको दे दिया गया अब पुनः वादीगण द्वारा अपने हिस्सें के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह भी उक्त 9 बीघा के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत किया गया है जबकि 9 बीघा आराजी वादीगण की माता ने पूर्व में ही प्राप्त कर ली है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद खारिज किये

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

जाने योग्य है। वकील वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि 9 बीघा आराजी भरण पोषण के रूप में प्राप्त हुयी है वादीगण अपनी पैतृक सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने के सम्बन्ध मे यह वाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादी का प्रा0पत्र विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय दिनांक 13.02.14 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक व समझौता पत्र दिनांक 08.05.13 के अवलोकन से यह तथ्य भली भांति स्पष्ट है कि वादीगण की माता सुनीता व प्रतिवादी सं0 2 देवीसिंह के मध्य आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु एक प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 13 बी विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ। जिसमें उन्होंनें यह तथ्य अंकित किये है कि वादीगण की माता सुनीतादेवी ने अपने व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए एवं उनके हक के लिए एकमुश्त 9 बीघा आराजी प्राप्त करना स्वीकार किया है जो कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक में सुनीतादेवी के द्वारा किये गये बयान व उभय पक्षों में सिविल न्यायालय में हुए संविदा/सहमति समझौते के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.14 तथा रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 12.12.12 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण व उसकी माता द्वारा अपने भरण पोषण व हिस्सें के सम्बन्ध में 9 बीघा आराजी प्राप्त कर ली है ऐसी स्थिति में वादीगण पुनः अपने हिस्सें के सम्बन्ध में वाद पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत करने का कानूनन औचित्य प्रतीत नहीं होता है इसलिए वाद आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमा–ए–आम में दिनांक 20-8-19 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner